nt>

Title: Need to review the mode of allocation of funds to the Government of Gujarat under 'Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana'.- Laid.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विदित है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000-2001 से केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गयी है व इसमें सुनिश्चित किया गया है कि विभिन्न राज्य सरकारों की इस योजना के तहत आने वालों कार्यो की अनुदान राशि प्रत्येक राज्य में उपयोग किये जा रहे डीजल के टैक्स के आधार पर आबंटित की जायेगी। गुजरात राज्य को जो 50.00 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जा रही है, वह निश्चित नियम के अनुरूप नहीं है।

गांवों व उपनगरों, जो सड़क मार्ग से जुड़ने शेा है, वहां चरणबद्ध सड़क निर्माण कार्य, पूर्व निर्मित मार्गो के मरम्मत कार्य इत्यादि तत्कालीन आवश्यकता पर आधारित होते हैं। परिणामस्वरूप निर्धारित योजना के दिशा निर्देशों से हटकर मर्यादित वित्त व्यवस्था में कार्य सम्पन्न करने होते हैं।

मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार की इन उल्लेखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डीजल उपयोग पर आये टैक्स के अनुपात में ही अनुदान वितरण व्यवस्था करें।